संख्या [illegible] / कार्यकर्ती अवार्ड
दिनांक [illegible] 2004

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई०सी०डी०एस०,
उत्तरांचल, देहरादून।

विषय : आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु पुरस्कार योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला एवं बाल विकास, भारत सरकार के पत्र संख्या 6–3/2003 एम०ई० दिनांक 20 फरवरी 2004 के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पुरस्कार योजना के अन्तर्गत चयन करने हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारित किये जा रहे है:-

(1) न्यूनतम अर्हता (अभिलेखो तथा स्व प्रमाणन के आधार पर): चयन हेतु अर्ह कार्यकर्ती निम्नवत् न्यूनतम अर्हतायें रखती हो :--

1. तीन वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो।
2. सेवा के दौरान कार्य प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
3. विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में प्रतिभाग किया हो।
4. ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन करती हो, जहाँ प्रतिदिन औसतन 20 बच्चे उपस्थित रहते हों।
5. औसतन प्रतिमाह एक सार्थक सम्पर्क किया हो।
6. यह सुनिश्चित कर लिया हो कि आंगनबाड़ी क्षेत्र के बच्चों की प्रतिरक्षण दर राज्य स्तरीय सम्पूर्ण प्रतिरक्षण दर से कम न हो। (NFHCS II सर्वे के अनुसार सम्पूर्ण टीकाकरण प्राप्त करने वाले बच्चों का प्रतिशत 40.9 है)
7. औसतन प्रति सप्ताह एक गृह भ्रमण किया हों।
8. औसतन प्रत्येक पक्ष (15 दिन) में एक बार बीमार बच्चों की देखरेख की हों।
9. यह सुनिश्चित किया हो कि आंगनबाड़ी के 95 प्रतिशत बच्चें विद्यालय में कक्षा दो (02) तक अवश्य बने रहें।

(2) चयन की प्रक्रिया : बिन्दु संख्या (1) की अर्हतायें पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का चयन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा :--

1. पुरस्कार हेतु एक निश्चित तिथि (सामान्यतः 30 अप्रैल) तक नामांकन आमंत्रित किये जायें। निम्न व्यक्ति एवं संस्थायें कार्यकर्तियों का नामांकन कर सकते है– आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत बच्चे के अभिभावक, पंचायतराज संस्था के

सदस्य, शहरी बाल विकास परियोजनाओं में नगरीय स्थानीय निकायों के सदस्य, सदस्य मा. राज्यसभा, सदस्य मा. लोकसभा, महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक संगठन, राज्य में कार्यरत अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओं-मोरट/यू0एस0एड0, विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूनीसेफ, अन्य संयुक्त राष्ट्र संगठन की एजेन्सियों के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय तथा शैक्षणिक/तकनीकी संस्थायें।

2. आई0सी0डी0एस0, निदेशालय के अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी अथवा मुख्य विकास अधिकारी किसी भी कार्यकर्ती का नाम विचार हेतु सूची में सम्मिलित कर सकते है, चाहे उसका नामांकन न भी किया गया हो।

3. प्रत्येक जिला मुख्यालय स्तर पर नामांकित एवं उपरोक्त अधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध कार्यकर्तियां प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित की जायेगी। यदि कोई कार्यकर्ती प्रस्तुतिकरण हेतु उपस्थित नहीं होती है तो उसका नाम प्रस्तावित सूची से स्वतः निरस्त समझा जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी नामांकित/सम्मिलित कार्यकर्तियों की न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने सम्बन्धी जाँच करेंगे तथा अयोग्य अभ्यार्थियों को सूची से बाहर कर दिया जायेगा।

4. प्रस्तुतिकरण में कार्यकर्ती को एक संक्षिप्त वक्तव्य देने को कहा जायेगा कि वह बच्चों एवं महिलाओं को सेवायें प्रदान करने में अन्य कार्यकर्तियों से कैसे श्रेष्ठ है? वह पुरस्कार हेतु अपने अभ्यर्थन के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत कर सकेगी। कार्यकर्ती अपनी उपलब्धियों के सम्बन्ध में प्रमाण देगी कि किस आधार पर वह इस पुरस्कार हेतु योग्य है। प्रस्तुतिकरण बैठक में समस्त इच्छुक व्यक्ति प्रतिभाग कर सकते है।

5. राजकीय अधिकारियों, पंचायत राजसंस्था/नगरीय स्थानीय निकाय सदस्यों, मा. सदस्य लोकसभा/विधानसभा, मान्यता प्राप्त पत्रकार, प्रतिभागी कार्यकर्तियों आदि द्वारा प्रस्तुतिकरण के समय नामांकित/सूचीबद्ध कार्यकर्तियों से प्रश्न पूछे जा सकते है।

6. जनपद स्तर पर एक निर्णायक मण्डल का गठन होगा, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उनके द्वारा नामित क्षेत्र पंचायत का एक अध्यक्ष, जनपद के आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा उनके द्वारा नामित एक मुख्य सेविका सदस्य होंगे। निर्णायक मण्डल कार्यकर्तियों का परीक्षण करेगा तथा समुचित कारण तथा प्रमाण–आलेख्य देते हुये, अधिकतम तीन कार्यकर्तियों का नाम पुरस्कार हेतु संस्तुत करेगा।

7. जनपद स्तर से संस्तुतियों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निदेशक, आई0सी0डी0एस0 को प्रेषित की जायेगी। राज्य स्तर पर निर्णायक समिति में मा0 मंत्री जी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, विभागीय प्रमुख सचिव, निदेशक, आई0सी0डी0एस0, महानिदेशक स्वास्थ्य, पंत विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान संकाय की प्रतिनिधि एवं निदेशक, आई0सी0डी0एस0 द्वारा नामित एक आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। निदेशक

आई०सी०डी०एस० [illegible] निदेशक [illegible] समस्त जनपदों से प्राप्त प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करेगी। समिति द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सूचनायें जनपदों से मंगवायी जा सकती हैं।

(3) राज्य समिति द्वारा पुरस्कारों का [illegible] इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुये दिया जायेगा कि प्रत्येक जनपद से न्यूनतम एक आंगनबाड़ी कार्यकत्री का नाम सम्मिलित हो। राज्य स्तरीय पुरस्कारों की संख्या 22 (बाईस) होगी।

(4) पुरस्कारों का निर्धारण करते समय राज्य समिति द्वारा निम्न सिद्धान्तों का अनुपालन किया जायेगा।

1. कार्यकत्री की उपलब्धि आई०सी०डी०एस०, किशोरी शक्ति योजना, स्वयंसिद्धा एवं महिला तथा बाल विकास से सम्बन्धित विभागीय अथवा अन्य विभागों की स्कीमों से जुड़ी होनी चाहिये।
2. किसी राष्ट्रीय प्रचार प्रसार अथवा राष्ट्रीय/राज्य/जनपद स्तरीय महत्त्वपूर्ण गतिविधि जैसे चुनाव, जनगणना, पल्स पोलियो, आपदा राहत आदि में दिया गया सहयोग भी देखा जायेगा।
3. कार्यकत्री की उपलब्धि को स्वतंत्र इकाई के रूप में नहीं मापा जायेगा, जब तक यह स्पष्ट नहीं होता जाता कि यह उपलब्धि कार्यकत्री के अपने प्रयासों का ही प्रतिफल है। मुख्य विचार इस बिन्दु पर होना चाहिये कि कार्य वातावरण में कोई परिवर्तन न होने पर भी समय के साथ (वर्षों की अवधि में) सूचकांक में क्या बदलाव आये हैं।
4. उपलब्धियों को गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों स्तरों पर देखा जायेगा।
5. आंगनबाड़ी केन्द्र की गतिविधियों में जन सहभागिता, बच्चों के अभिभावकों की भागीदारी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के कार्मिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध तथा समुदाय से संसाधन प्राप्त करने की योग्यता आदि बिन्दुओं को महत्त्व दिया जायेगा।
6. आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा स्कूल पूर्व शिक्षा एवं पोषण-परामर्श, यह दो सेवायें स्वयं प्रदान की जाती हैं। अतः इन दो सेवाओं का सम्पादन स्तर ध्यान में रखा जायेगा।
7. अन्य उपलब्धियां समान होने पर दुर्गम एवं दुरूह क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकर्त्रियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(5) निदेशक, आई०सी०डी०एस० राज्य स्तरीय समारोह आयोजित कर यह पुरस्कार वितरित करायेंगे। राज्य पुरस्कारों हेतु नामांकित कार्यकर्त्रियों की सूची में से राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु दो नामांकन भेजे जायेंगे। राज्य पुरस्कार प्राप्त कार्यकर्त्रियों में से राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु नामांकन करने के लिये राज्य-समिति स्वतंत्र होगी।

भवदीय

(एस०के० मुद्‌गल)
प्रमुख सचिव

संख्याः 555 / कार्यकत्री अवार्ड / 2004, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) आयुक्त कुमाँऊ मण्डल / गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।

(2) महा निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उत्तरांचल।

(3) अध्यक्ष जिला पंचायत, उत्तरांचल।

(4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

(5) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।

(6) समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

(7) समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तरांचल।

(8) निजी सचिव, माननीय मंत्री महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग।

(9) डीन, गृह विज्ञान विभाग, पंतनगर विश्वविद्यालय, ऊधमसिंह नगर।

(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव